17.6.16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प शिश्यूं में पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 ता 10 व 12 उपस्थित। रेस्पो0 नं0 11 अनु0। लोक अदालत में अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 ता 10 ने राजीनामा लिख कर पेश किया तथा निवेदन किया कि अपील में चाहे अनुतोष ना0नं0 831 दिनांक 14.1.77 को खारिज कर दुरस्ती कर दी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि ग्रा0पं0 शिश्यूं द्वारा ना0नं0 831 दिनांक 14.1.77 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है किन्तु ना0नं0 831 में दर्ज खातेदारों का विक्रय पत्र अपीलान्ट के पिता ~~हनुमान~~ हनुमान ने कभी भी रेस्पो0नं0 1 ता 3 के पक्ष में तस्दीक नहीं करवाया। ना0नं0 831 में उप0नं0 पुस्तक नं0 327 व 328 अंकित किया गया है उक्त विक्रय पत्र का गलत इन्द्राज कर नामान्तकरण स्वीकार कर दिया गया जिसे खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पो0नं0 1 ता 10 ने अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती बाबत निवेदन किया है ~~अपील~~ सम्पूर्ण तथ्यों के मद्देनजर होने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत

रामपालसिंह
सुभाषचन्द्र
शीशराम
रोशनलाल
निशानी मोहरी
निशानी हरकी
निरमला
सुशीला
कमला
(भागचंद)
पहलवानकौर
निशानी किशनकंवर (कैलाश)
गोकुल देवी

(गोकुल देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत शिश्यूं
पं.स. पिपराली जि. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़

बार एसोसियेशन, दातारामगढ़

Scanned with CamScanner

शिशुपु द्वारा स्वीकार किये गये ना० नं०
831 दिनांक 14.1.77 को खारिज किया
जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ
को निर्देश दिये जाते हैं कि हनुमान पुत्र
अमरा के विधिक वारिसों व विक्रयपत्र
की पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण
दर्ज करें। पालना हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ
को तहरीर जारी हो। ~~पत्रावली~~ साथ ही
तहसीलदार बैंक PHB शाखा पलसाना
का रहन मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने
के पश्चात पुनः जांच कर नामान्तकरण
दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ